## अध्याय – III

## वित्तीय नीतियां

### 105 (1) भारत के राष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल के नाम से सरकारी कंपनियों में शेयर होना

अधोहस्ताक्षरी को उक्त विषय पर इस विभाग के तारीख 13 अक्टूबर, 1965 के का.ज्ञा. सं. 15/32/65 – आई जी सी का हवाला देने और यह बताने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों और राज्य सरकारों ने, उक्त सूचना प्राप्त होने पर यह प्रश्न उठाया है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को सरकारी कंपनियों में शेयर धारण करने के प्रयोजन के लिए एकल निगम समझा जाए या नहीं। अतः, इस मामले की विस्तारपूर्वक जांच की गई और सभी की सूचना और मार्गदर्शन के लिए नीचे स्पष्टीकरण दिया गया है।

2. इस विभाग ने उक्त कार्यालय ज्ञापन में सूचित किया था कि किसी सरकारी कंपनी में शेयरों को किसी ऐसे सरकारी कार्यालय के नाम रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जा सकता है, जो विधि के अनुसार एकल निगम नहीं है। इस प्रकार कंपनी में शेयरों को केन्द्रीय आबकारी आयुक्त या भारत सरकार के सचिव के नाम नहीं लिया जा सकता है। निम्नलिखित के सिवाय सरकारी कार्यालयों के धारकों के मामले में इस नीति का पालन किया जाए।

3. राष्ट्रपति या संविधान के अंतर्गत कार्यरत किसी राज्य का राज्यपाल 'महाप्रशासक अधिनियम, 1963' के तहत गठित महाप्रशासन के समान एकल निगम नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 77(1) और 166 (1) में उपबंधित किए गए अनुसार भारत सरकार या राज्य सरकार की सभी प्रशासनिक कार्यवाहियां स्पष्ट रूप से, यथा स्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से की जाएंगी। मोटे तौर पर ''ऐसे शेष सरकारी कार्य जो विधायी और न्यायिक कार्यों को वापस ले लिए जाने के बाद शेष रहते हैं'' को कार्यपालिका (एक्जीक्यूटिव) कार्य या कार्यपालिका (एक्सीक्यूटिव) शक्ति कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यह प्रतीत होता है कि उक्त अनुच्छेद ऐसे मामलों तक सीमित है जहां औपचारिक आदेश या अधिसूचना या किसी अन्य लिखत के रूप में कार्यपालिका को स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। जब कार्यपालिका (एक्जीक्यूटिव) निर्णय से कोई बाह्य व्यक्ति प्रभावित होता है या उसे अधिकारिक तौर पर अधिसूचित या सूचित किया जाना अपेक्षित होता है तो इसे इन अनुच्छेदों में उल्लिखित रूप में अभिव्यक्ति किया जाना चाहिए अर्थात् यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम।

4. संविधान के अनुच्छेद 77 (1) और 166 (1) में बताए गए अनुसार भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी कंपनी में शेयरों का अभिग्रहण या धारण ''कार्यपालिका का'' (एक्जीक्यूटिव) कार्य है और इसलिए, यथास्थिति भारत के राष्ट्रपति अथवा राज्य के गवर्नर के नाम कार्रवाई की जाती है।

5. उक्त के अनुसार किसी सरकारी कंपनी में शेयर भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के नाम धारित किए जाते हैं।

6. उक्त स्पष्टीकरण के बारे में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों को उनकी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए सूचित किया जाता है।

**(कंपनी कार्य विभाग का 30 सितंबर, 1966 का पत्र सं. 15/32/65 – आई जी सी)**